17/5/24 पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी व प्रार्थी के अधिवक्ता
और अभिभाषक वादी का वाद अग्रिम सुनवाई
व अन्तिम पेशी में खारिज किया जा
चुका है अतः TJ प्रा०प० चलाने का
कोई औचित्य नहीं है। लिहाजा प्रार्थी
का प्रार्थना-पत्र खारिज किया जाता है।
पत्रावली फैसल होकर नस्ख को
की जाकर आमिल दफ्तर हो।